"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 जून 2013—आषाढ़ 6, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2013/482.—छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 117 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के उप-नियम (1) में, शब्द "की भी पात्रता होगी" के पश्चात् पूर्ण विराम "." के स्थान पर कोलन ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 3 के उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य के बाहर दौरे (शासकीय कार्य हेतु) हेतु राज्य शासन की पूर्व अनुमति से हवाई यात्रा (इकॉनामी क्लास) की पात्रता होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2013/483.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2013/482 दिनांक 27-06-2013 से संबंधित अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th June 2013

NOTIFICATION

No./P/PGVV/22/2013/482.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with section 117 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Zila Panchayat Members (Travelling and Other Allowances) Rules, 1995, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of the Section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub rule (1) of Rule 3, for the full stop "." after the words "per day" the colon ":" shall be substituted.

2. After sub-rule (1) of Rule 3, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the Chairpersons of Zila Panchayat shall be entitled to travel by air (Economy Class) outside the State, on tour (for official work), with the prior permission of State Government."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDAN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.